

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	छिन्दवाड़ा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) की स्थापना/निर्माण हेतु 8.33 हेक्टेयर वनभूमि एवं 72.407 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 80.737 हेक्टेयर भूमि मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि:-22.03.2019

स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 I.F.S.
 Addl. Principal Chief Conservator of forest
 (Land Management)
 Madhya Pradesh, Bhopal